pending. A list of such requests is given in Annexure. [*See* Appendix CLIV, Annexure No. 34].

सरोजनी नगर में दुकानों का आबंटन

581. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा निदेशालय ने नई दिल्ली में सरोजिनी नगर स्थित बाबू मार्केट में तथा सरोजिनी नगर मुख्य मार्केट में अभी तक कितनी दुकाने आवंटित की गई हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आवंटित की गई दुकानों तथा कुल आवंटित की गई दुकानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कुछ दुकानें अभी तक भी आवंटित नहीं की गई हैं और यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इनका आवंटन किए जाने की संभावना है; यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में अनाथालयों की संख्या

582. **डा. अबरार अहमद खान :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार अनाथालयों की संख्या कितनी है और इनमें कितने बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार अनाथालयों में रह रहे विद्यार्थियों को स्कूलों में, प्रवेश में प्राथमिकता देने अथवा आरक्षण देने, छात्रवृत्ति, मुफ्त वर्दी अथवा किताबें आदि उपलब्ध कराने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अनाथालयों में रह कर पढ़ने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है अथवा आरक्षण प्रदान किया जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधान लाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनाथालय में रह रहे बच्चों का उत्पीड़न न किया जाये तथा उन्हें बेचा न जाये, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें निराश्रित बाल गृहों को चलाने के लिए सहायक-अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की राज्य-वार संख्या तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या दी गई है।

(ख) योजना के अन्तर्गत, संस्थाओं के अन्दर तथा बाहर, दोनों के लिए विद्यमान अवसंरचना के माध्यम से बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है बच्चों को समुदाय के सामान्य सदस्यों के ही समान बढ़ोत्तरी तथा विकास प्रदान करने के लिए उन्हें समुदाय के साथ जोड़ना।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनाथालयों से बच्चों के लिए कोई विशेष आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। आरक्षणों से संबंधित सामान्य सुविधायें तथा आय प्रावधान उन पर लागू होते हैं।

(घ) इन गृहों के कार्यकरण को राज्य सरकारों द्वारा आवधिक निरीक्षणों तथा दौरों और नियमित विवरणियों के माध्यम से मानीटर किया जाता है।

विवरण

देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये बच्चों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण (31 मार्च, 1990 तक)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	बच्चों की संख्या	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	3125	54
2. असम	1020	17
3. बिहार	1450	34
4. गुजरात	1218	21
5. हरियाणा	540	11
6. हिमाचल प्रदेश	82	2
7. कर्नाटक	4690	124
8. केरल	1200	30
9. मध्य प्रदेश	875	22
10. महाराष्ट्र	3045	50
11. मणिपुर	175	6
12. मेघालय	525	20
13. नागालैंड	425	6
14. उड़ीसा	2853	51
15. पंजाब	260	9
16. राजस्थान	2850	72
17. सिक्किम	100	2
18. तमिलनाडु	10493	172
19. त्रिपुरा	475	11
20. उत्तर प्रदेश	3142	87
21. पश्चिम बंगाल	5285	78
22. अंडमान और निकोबार दीप समूह	100	2
23. अरूणाचल प्रदेश	145	6
24. दिल्ली	1134	10
25. गोवा	375	6
26. मिजोरम	25	2
27. पांडिचेरी	350	9
कुल :	45957	914